

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 27/2023

उनवान

1. शफकत अली पुत्र रौनक अली जाति मुसलमान
2. शाहिद अली पुत्र शौकत अली, हाल नि. गणेश जी के मन्दिर वाली गली, कृष्णापुरी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ

-- अपीलांट :- जरिये अधिवक्ता श्री नोरतमल जैन

बनाम

1. सरोज कलवार पत्नी कन्हैयालाल जाति कलाल निवासी बान्दनवाडा, तहसील भिनाय, अजमेर।
2. गोपाल पुत्र नन्दा जाति नाई निवासी झडवासा, नसीराबाद
3. ग्राम पंचायत झडवासा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झडवासा,
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद

— रेस्पोंडेन्टस :- 1 जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
2 व 5 अनुपस्थित
3 जरिये अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
4 जरिये राज0 परोकार

5. जाहिद अली पुत्र शौकत अली समस्त जाति मुसलमान, हाल नि. गणेश जी के मन्दिर वाली गली, कृष्णापुरी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ

— प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्टस :- 5 अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. रा. अधि. 1956 बनाराजगी नामान्तरण, ग्राम पंचायत झडवासा जरिये सरपंच, नामान्तरण संख्या 1096 दिनांक 10.12.20 जो कि दिनांक 16.12.20 को स्वीकृत किया गया, ग्राम झडवासा तहसील नसीराबाद स्थित भूमि के सन्दर्भ में नामान्तरण के विरुद्ध अपील।

-: आदेश :-

दिनांक :- 28.8.24

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा की अपीलाधीन भूमि हाल खसरा नम्बर 4045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 के बाबत रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 द्वारा जो नामान्तरण स्वीकृत किया गया निरस्त योग्य है। ग्राम झडवासा के चौसाला खसरा नम्बर 2354 रकबा 6-0-0 वॉर्किंग खसरा नम्बर 3243, 3244, 3245 का राजस्व वाद 87/2008 उपखण्ड न्यायालय नसीराबाद में पेश किया गया। उक्त वाद दिनांक 23.04.12 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 4045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 पर वादीगण को खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील गान्ध्या



-2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 23.02.15 को निरस्त की गयी व उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त वाद के साथ प्रकरण संख्या 52/08 शफकत अली बनाम रामपाल की धारा 212 की पत्रावली में दिनांक 06.01.2010 के अनुसार अपीलाधीन भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत झडवासा व हल्का पटवारी को होने के बाद भी आदेश की अवमानना करते हुये नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.12 गलत स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील 282/12 शफकत अली बनाम प्रेमलता पेश की गयी। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने दिनांक 25.05.22 को उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.12 को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तकरण रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पूर्व में प्रस्तुत अपील विचाराधीन रहते हुये रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 को बैचान कर दिया गया। पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश व स्थगन के बावजूद उक्त बैचान व उसके आधार पर किया गया नामानतकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1096 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 5 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। हाजा न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 87/2008 में दिनांक 23.04.12 को निर्णय व डिक्री पारित कर खसरा नम्बर 4045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 की आराजी वादीगण वर्तमान अपीलांट व रैस्पोंडेन्ट संख्या 5 को खातेदार घोषित किया था। प्रतिवादी रामलाल वगै० द्वारा उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के यहा प्रस्तुत करने पर उक्त अपील दिनांक 23.02.15 को खारिज की गयी। आराजी मुतनाजा बाबत राजस्व वाद व धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट व रैस्पोंडेन्टस के मध्य पेश हुआ था। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2010 को आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी। साथ ही उक्त विचाराधीन वाद में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2012 को निर्णय व डिक्री पारित कर आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण/अपीलांट को घोषित किया गया। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के बावजूद उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार द्वारा रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 को बैचान कर दी तथा नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.212 द्वारा उक्त आराजी रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तकरण भी अपील संख्या 282/2012 दिनांक 25.5.22 द्वारा निरस्त किया गया इसके बावजूद भी गोपाल रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने उक्त आराजी का बैचान रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 को कर दिया जिसके विक्रय का नामानतकरण संख्या 1096 केता के नाम ग्राम पंचायत रैस्पोंडेन्ट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि स्थगन आदेश व निर्णय व डिक्री जारी होने के बावजूद आराजी मुतनाजा का बैचान व नामान्तकरण तस्दीक किया गया। मूल वाद में भी अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। इसके बावजूद रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी कय की गयी। जबकि रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 को उक्त आराजी का बैचान करने का अधिकार नहीं था। रैस्पोंडेन्ट संख्या 3 व राजस्व कार्मिको द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करनी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा स्थगन आदेश पारित

होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स अधिवक्ता का तर्क है कि डिक्री व निर्णय को 12 वर्ष हो गये हैं। अतः निर्णय मियाद बाहर हो गया है किन्तु उक्त निर्णय व आदेश 23.04.2012 को पारित किया गया व उक्त निर्णय व डिक्री की पालना से पूर्व ही भूमि का बैचान अन्यत्र करने के कारण अपीलांत द्वारा प्रश्नगत अपील व पूर्व में भी नामान्तकरण की अपील पेश की गयी है तथा प्रस्तुत अपील में नामान्तकरण निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। उक्त अपील दिनांक 03.02.23 को ही पेश की जा चुकी है अतः 12 वर्ष की मियाद पूर्ण नहीं हुयी हैं, साथ ही रेस्पोंडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांत द्वारा विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं है। जबकि न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आराजी मुतनाजा का खातेदार अपीलांत को घोषित कर दिया था तब प्रतिवादी अथवा अन्य व्यक्ति को भूमि विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स ने यह भी निवेदन किया है कि प्रकरण में मूल वाद की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 23.02.15 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गयी थी। उक्त प्रकरण में बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है किन्तु उक्त बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रश्नगत प्रकरण के अंतिम बहस में नियत होने के पश्चात पेश किया गया है। साथ ही रेस्पोंडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त बाजदारी प्रार्थना पत्र वर्तमान में जॉच रिपोर्ट में ही लम्बित है। प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व में मूल वाद में हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश अप्रभावी नहीं हो जाता है। उक्तानुसार अपीलांत अपनी अपील के तथ्यों को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक कर के ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा विधिक त्रुटी की है। अपीलांत अपनी अपील के तथ्यों को सिद्ध करने में सफल रहे हैं।

अतः अपील अपीलांत "स्वीकार" की जाती है। ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1096 दिनांक 16.12.2020 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण संख्या 87/08 शफकत अली बनाम रामपाल वगै में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.12 को मध्यनजर रखते हुये नियमानुसार नवीन सिरे से कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

